रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06122024-259237 CG-DL-E-06122024-259237

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4886]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2024/अग्रहायण 15, 1946

No. 4886]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024/AGRAHAYANA 15, 1946

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2024

का.आ. 5281(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 4013(अ), दिनांक 7 नवम्बर, 2019 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार मणिपुर उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, इम्फाल पूर्व और जिला एवं सत्र न्यायालय, इम्फाल पश्चिम को क्रमशः NIA विशेष न्यायालय-I और NIA विशेष न्यायालय-II के रूप में मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु नामोदिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार पुरे मणिपुर राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/38/2024/एनआईए (पार्ट)]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

7932 GI/2024 (1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2024

S.O. 5281(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4013 (E), dated the 7th November, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Manipur, hereby designates the Court of District and Sessions Judge, Imphal East and the Court of District and Sessions Judge, Imphal West as NIA Special Court-I and NIA Special Court-II respectively in the State of Manipur for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Courts mentioned above shall extend throughout the State of Manipur.

[F. No. 11011/38/2024/NIA (Part)]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.